

09.02.18

चत्रावली पेश हुई। प्रकरण में बार-बार
आवाज लगाई गई किन्तु प्रार्थी असाक्षर
या अकालतन उपस्थित नहीं आये। अतः प्रकरण
असम हजरी व अदम पैश्वी में खारिज किया
जाता है।

चत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बैंक से कम
हो एवं बाद तकमील अंलग्न मूल का रहे।

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)